

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी
पीठासीन अधिकारी- श्री सर्वेश्वर निम्बार्क,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 115/2025

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

रखाराम पुत्र चौनाराम उम्र 73 वर्ष जाति कलबी निवासी सड़ा धनजी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा	1. धनाराम पुत्र उमेदाराम उम्र 54 वर्ष 2. दजाराम पुत्र उमेदारानं उम्र 50 वर्ष 3. जगताराम पुत्र उमेदाराम उम्र 35 वर्ष जातियान कलबी निवासी सड़ा धनजी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 4. तहसीलदार सिणधरी
----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।
2. श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित।
3. प्रतिवादी सं. 4 के पैरोकार उप।

निर्णय

दिनांक- 13.01.2026

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है जिसमें वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है। कि प्रार्थी तथा विप्रार्थी सं. 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी का अविभाजित खेत ग्राम सड़ा खसरा संख्या 539 रकबा 9.3278 हैक्टर का आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा तथा विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/6-1/6 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। इसी अनुरूप हिस्साकस्सी राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी की खुल्ली हुई है तथा राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्तानुसार अलग- अलग हिस्से दर्ज है एवं इसी हिस्सों में माफिक प्रार्थी विवादित भूमि पर काबिज है। मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है परन्तु प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेदों को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थी प्रार्थी के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे हैं व पुराने मौखिक बंटवाड़े अनुसार कायम सेदों को तोड़ रहे हैं एवं प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रखोबदल करने पर प्रयास है तथा प्रार्थी को सड़क मार्ग तक नहीं जाने देते हैं जबकि वादग्रस्त भूमि का

विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है जिस कारण प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच पर समान हक हिस्सा है इस तथ्य को लेकर प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य अरसा एक माह से तनाव की स्थिति बनी हुई है, साथ ही प्रार्थी अपने हिस्से व कब्जे काशत की भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु सहकारी संस्था एवं विकास बैंक जैसी संस्थाओं से ऋण लेना चाहते हैं किन्तु भूमि सामलाती होने से प्रार्थी को कई परेशानियों एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विप्रार्थीगण बेशकीमती व विशिष्ट भू-भाग वाली भूमि पर नया निर्माण आदि कर हथियाने का प्रयास कर रहे हैं जबकि भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा नहीं किया हुआ होने के कारण सामलाती भूमि में विप्रार्थी विशिष्ट भूमि-भाग निर्माण आदि करवाने के अधिकारी नहीं हैं क्योंकि सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच पर समान हक व हिस्सा होता है तथा प्रार्थी के हिस्से की कब्जे काशत की भूमि में मौखिक बंटवाड़े अनुसार कायम सेढे को तोड़कर विप्रार्थीगण, प्रार्थी के कब्जे काशत में हस्तक्षेप कर रहे हैं तथा जबरन कच्चा/पक्का निर्माण कर बाधा पैदा कर रहे हैं। यदि ऐसा करने में विप्रार्थीगण सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि में रेकर्ड्ड खातेदार है जिनका वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काशत कर रहे हैं परन्तु विप्रार्थी द्वारा विशिष्ट भू-भाग पर निर्माण आदि करने पर प्रयासरत है जबकि विप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर ग्राम सड़ा के खसरा संख्या 539 रकबा 9.3278 हैक्टेयर, पटवार क्षेत्र सड़ा धनजी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में प्रार्थी के कब्जे काशत की भूमि में विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 व उसके परिवार सदस्य या एजेन्ट किसी प्रकार की दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं करें तथा न ही जबरन प्रार्थी को बेदखल करने का प्रयास करें तथा न ही प्रार्थी के हिस्से पर काशत करें तथा न ही मौके पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का नया निर्माण करें इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी की जावें।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं. 1 से 3 की तरफ से मूल वाद की तर्ज पर अपनी ओर से प्रस्तुत आवेदन के तथ्यों की इस्तदुआ को इस वाद में जवाब के तोर पर सम्मिलित पढा गया।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। कि प्रार्थी तथा विप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत ग्राम सड़ा खसरा संख्या 539 रकबा 9.3278 हैक्टेयर, पटवार क्षेत्र सड़ा धनजी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/6-1/6 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। इसी अनुरूप हिस्साकस्सी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी की खुल्ली हुई है तथा राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अलग-अलग हिस्से दर्ज हैं एवं इसी हिस्से में माफिक प्रार्थी विवादित भूमि पर काबिज है। मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है परन्तु प्रार्थी एवं विप्रार्थी के मध्य भूमि के सेढों को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थी, प्रार्थी के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काशत में लगातार दखल अन्दाजी कर रहे हैं व पुराने मौखिक बंटवाड़े अनुसार कायम सेढे को तोड़ रहे हैं एवं प्रार्थी को उसके कब्जे काशत से बेदखल करने पर आमामदा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रखोबदल करने पर प्रयासरत है जबकि वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है जिस कारण प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच पर समान हक हिस्सा है इस तथ्य को लेकर प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य अरसा एक माह से तनाव की स्थिति बनी हुई है, साथ ही प्रार्थी अपने

हस्तों व कब्जे काश्त की भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु सहकारी संस्था एवं विकास बैंक जैसी संस्थाओं से ऋण लेना चाहते हैं किन्तु भूमि सामलाती होने से प्रार्थी को कई परेशानियों एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विप्रार्थी बेशकीमती व विशिष्ट भू-भाग वाली भूमि पर नया निर्माण आदि कर हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। जंहा तक खातेदारी की सामलाती भूमि पर कब्जा करने तथा पक्का निर्माण करने का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी इन तथ्यों को दस्तावेजी साक्ष्यों के प्रमाणित नहीं कर पाया। जहां तक पक्षकारान के मध्य विभाजन को लेकर दायर वाद में विधिवत सुनवाई के प्रारम्भिक डिकी भी जारी की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।


लिहाजा प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।



(सर्वेश्वर निम्बार्क)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणघरी

निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणघरी